



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112020-223264
CG-DL-E-24112020-223264

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 515]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 2020/अग्रहायण 2, 1942

No. 515]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 2020/AGRAHAYANA 2, 1942

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2020

सं.विधि 42(3)/87.— पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन जारी अधिसूचना सं. 145 (ई) दिनांक 21 फरवरी, 1991 के खण्ड 1 के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा 1 के खण्ड (ख) और धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032 एतद्वारा (क) नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशाला को सौंपे गये कार्य करने हेतु "पर्यावरणीय प्रयोगशाला" के रूप में और (ख) तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को विश्लेषण के लिए भेजे गये वायु, जल, मृदा एवं अन्य पदार्थों के स्तंभ (4) में दर्शाए गए पैरामीटरों के संबंधित समूहों के लिए विनिर्दिष्ट नमूनों का विश्लेषण करने हेतु सरकारी विश्लेषक के रूप में मान्यता देता है। 20 जुलाई, 2020 की अधिसूचना संख्या विधि/42(3)/87, की क्रम संख्या 182 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा :

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषक का नाम	पैरामीटर समूह हेतु मान्यता
1.	2.	3.	4.
183.	केंद्रीय प्रयोगशाला, केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाँधी नगर, कोच्चि, एर्नाकुलम, केरल – 682020.	1. श्री वी. टी. सजीमोन, मुख्य पर्यावरणीय वैज्ञानिक, 2. श्री एम. एच. शराफुद्दीन, पर्यावरणीय वैज्ञानिक, 3. सुश्री पी. गीता, पर्यावरणीय वैज्ञानिक।	भौतिक, सामान्य रसायन एवं गैर धात्विक, धातु, कार्बनिक, सूक्ष्मजीव विज्ञान, आविष विज्ञानी, परिसंकटमय अपशिष्ट अभिलक्षणन, मृदा/ स्लज/तलछट और परिवेशी वायु के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर्स, स्रोत उत्सर्जन, शोर स्तर और सूक्ष्म मौसम विज्ञानी पैरामीटर्स।

इस प्रकार उल्लिखित पर्यावरणीय प्रयोगशाला अधिसूचना जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी। हालांकि, कॉलम (3) में उल्लिखित सरकारी विश्लेषक 05 वर्ष की अवधि या बोर्ड की सेवाओं से अधिवर्षिता होने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किए जाएंगे।

शिव दास मीना, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./375/2020-21]

पाद टिप्पणी:

मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 728 (ई) दिनांक 21.07.1987 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसके पश्चात उसमें निम्नलिखित के द्वारा संशोधन किये गए : (1) का.आ. 838 (ई), दिनांक 23.09.87 (2) का.आ. 989 (ई) दिनांक 17.11.87 (3) का.आ. 489 (ई) दिनांक 17.05.88 (4) का.आ. 156 (ई) दिनांक 24.02.89 (5) का.आ. 846 (ई) दिनांक 24.10.89 (6) का.आ. 375 (ई) दिनांक 26.04.1990 (7) का.आ. 803(ई) दिनांक 23.09.92 (8) का.आ. 97 (ई) दिनांक 05.12.1994 (9) का.आ. 418(ई) दिनांक 31.03.1996 (10) का.आ. 889 (ई) दिनांक 31.08.1996 (11) का.आ. 452 (ई) दिनांक 31.05.97 (12) का.आ. 631 (ई) दिनांक 31.05.1998 (13) का.आ. (ई) 336 दिनांक 01.01.1999 (14) का.आ. 44 (ई) दिनांक 15.01.2001, (15) का.आ. संख्या 490 (ई), दिनांक 01.06.2001 और (16) का.आ. संख्या 532 (ई), दिनांक 01.01.2002, (17) का.आ. संख्या 1168 (ई), दिनांक 01.06.2001, (18) का.आ. संख्या 888 (ई), दिनांक 01.06.2003, (19) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.06.2004, (20) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.03.2005 (21) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.09.2005, (22) विधि/42(3)/87 दिनांक 15.12.2005, (23) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.05.2006, (24) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.09.2006, (25) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.01.2007, (26) विधि/42(3)/87 दिनांक 15.04.2007, (27) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.08.2007, (28) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.10.2007, (29) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.02.2008, (30) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.04.2008, (31) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.10.2009, (32) विधि/42(3)/87 दिनांक 15.01.2010, (33) विधि/42(3)/87 दिनांक 20.09.2010, (34) विधि/42(3)/87 दिनांक 27.01.2011, (35) विधि/42(3)/87 दिनांक 31.01.2012, (36) विधि/42(3)/87 दिनांक 14.08.2014, (37) विधि/42(3)/87 दिनांक 10.03.2015, (38) विधि/42(3)/87 दिनांक 11.12.2015, (39) विधि/42(3)/87 दिनांक 07.03.2016, (40) विधि/42(3)/87 दिनांक 03.08.2016, (41) विधि/42(3)/87 दिनांक 06.03.2017, (42) विधि/42(3)/87 दिनांक 19.06.2017, (43) विधि/42(3)/87 दिनांक 03.10.2018, (44) विधि/42(3)/87 दिनांक 17.01.2019 और (45) विधि/42(3)/87 दिनांक 20.07.2020.

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2020

No. Legal 42(3)/87.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and 13 read with clause 1 of the Notification No. 145 (E), dated 21st February, 1991, issued under Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi- 110032 hereby recognize, (a) the Laboratory specified in column (2) of the table below as

'Environmental Laboratory' to carry out the functions entrusted to the Environmental Laboratory under the said Act, and the rules made there under and (b) specified persons in column (3) of the table as the Government Analysts for the purpose of analysis of samples of Air, Water, soil or other substances sent for analysis, specified for respective groups of parameters mentioned in column (4). After Sr. No. 182 of the Notification No. Legal/42(3)/87, dated 20th July, 2020, and the entries relating thereto, the following serial no. and entries shall be added, namely:

Sl. No.	Name of Laboratory	Name of the Govt. Analysts	Recognized for Parameters Groups
(1)	(2)	(3)	(4)
183	Central Laboratory, Kerala State Pollution Control Board, Gandhi Nagar, Kochi, Ernakulam, Kerala - 682020	1. Sh. V. T. Sajimon, Chief Environmental Scientist, 2. Sh. M. H. Sherafudeen, Environmental Scientist, 3. Ms. P. Geetha, Environmental Scientist.	Physical, General chemical and Non-metallic, Metals, Organics, Microbiological, Toxicological, Hazardous waste characterization, soil/sludge/ sediments and air pollution parameters for analysis of Ambient Air, Source emissions, Noise and Micrometeorological parameters.

The Environmental Laboratory so mentioned shall remain valid for a period of 5 years from the date of issue of Notification. However, Government Analysts so mentioned at column (3) shall be appointed for a period of five years or upto the superannuation from the service of the Board, whichever is earlier.

SHIV DAS MEENA, Chairman

[ADVT.-III/4/Exy./375/2020-21]

Foot Note:

The principal notification was published in the Gazette of India vide No. S.O. 728(E), dated 21-7-1987 and subsequently amended vide- (1) Nos. S.O. 838 (E), dated 23-9-87, (2) S.O. 989 (E), dated 17-11-87, (3) S.O. 489 (E), dated 17-5-88, (4) S.O. 156 (E), dated 24-2-89, (5) S.O. 846 (E), dated 24-10-89, (6) S.O. 375 (E), dated 26-4-1990, (7) S.O. 803 (E), dated 23-9-92, (8) S.O. 97 (E), dated 5-12-1994, (9) S.O. 418 (E), dated 31-3-1996, (10) S.O. 889 (E), dated 31-8-1996, (11) S.O. 452 (E), dated 31-5-97, (12) S.O. 631 (E), dated 31-5-1998, (13) S.O. 336 (E), dated 1-1-1999, (14) S.O. 44 (E), dated 15-1-2001, (15) S.O. 490 (E), dated 1-6-2001, (16) S.O. 532 (E), dated 1-1-2002, (17) S.O. 1168 (E), dated 1-6-2001, (18) S.O. 888 (E), dated 1-6-2003, (19) Legal/42(3)/87, dated 1-6-2004, (20) Legal/42(3)/87, dated 1-3-2005, (21) Legal/42(3)/87, dated 1-9-2005, (22) Legal/42(3)/87, dated 15-12-2005, (23) Legal/42(3)/87, dated 1-5-2006, (24) Legal/42(3)/87, dated 1-9-2006, (25) Legal/42(3)/87, dated 1-1-2007, (26) Legal/42(3)/87, dated 15-4-2007, (27) Legal/42(3)/87, dated 1-8-2007, (28) Legal/42(3)/87, dated 1-10-2007, (29) Legal/42(3)/87, dated 1-2-2008, (30) Legal/42(3)/87, dated 1-4-2008, (31) Legal/42(3)/87, dated 1-10-2009, (32) Legal/42(3)/87, dated 15-1-2010, (33) Legal/42(3)/87, dated 20-9-2010, (34) Legal/42(3)/87, dated 27-1-2011, (35) Legal/42(3)/87, dated 31-1-2012, (36) Legal/42(3)/87, dated 14-8-2014, (37) Legal/42(3)/87, dated 10-03-2015, (38) Legal/42(3)/87, dated 11-12-2015, (39) Legal/42(3)/87, dated 7-3-2016, (40) Legal/42(3)/87 3-8-2016, (41) Legal/42(3)/87 6-3-2017, (42) Legal/42(3)/87, dated 19-6-2017, (43) Legal/42(3)/87 dated 3-10-2018, (44) Legal/42(3)/87 dated 17-1-2019 and (45) Legal/42(3)/87 dated 20-7-2020.